भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमाशुल्क गृह, विल्लिंग्टन आईलेंड, कोचिन
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009
Sevottam Compliant An IS 15700 certified Custom House
Website: www.cochincustoms.gov.in Control Room: 0484-2666422
E-mail: commr@cochincustoms.gov.in Fax: 0484-2668468
Ph: 0484-2666861-64/774/776

व्यापार सुविधा सं. TRADE FACILITY NO. 11/2018

विषय: अगम बिल दायर करने के लिए दस्तावेज़ प्रस्तुत करना- संबन्धित
Sub: Furnishing of the documents for filing of Bill of Entry – Reg.

सभी आयातकों, सीमाशुल्क ब्रोकरों, आम व्यापारियों, हित धारकों और अन्य व्यक्तियों का ध्यान आयात माल की नीकासी के लिए अगम बिल फाइल करने से संबन्धित बोर्ड के परिपत्र सं. 09/2010 दिनांक 08.04.2010 और बिल की फाइलिंग के संबंध में दिनांक 23.12.2010 को जारी कोचीन सीमा शुल्क व्यापार सुविधा संख्या 09/2010 की ओर आकर्षित किया जाता है।

Attention of all Importers, Custom Brokers, the Trading public, stake holders and others is invited to the Boards Circular No. 09/2010 dated 08.04.2010 and Cochin Customs Trade Facility No. 09/2010 dated 23.12.2010 regarding the filing of Bill of Entry for the clearance of Import Consignments.

2. इस संबंध में सीमाशुल्क ब्रोकरों द्वारा ग्राहकों की पहचान के लिए अपने ग्राहक को जानिए मानदंडों के संबंध में जारी बोर्ड के परिपत्र सं. 09/2010 के पैरा (iv) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। बोर्ड ने उपर्युक्त परिपत्र में सीमाशुल्क ब्रोकरों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे अपने ग्राहकों के पूर्व चरित्र, आयात निर्यात संहिता (आईईसी) संख्या की शुद्धता, अपने ग्राहक की पहचान और घोषित पते पर ग्राहकों की कार्यप्रणाली को विश्वसनीय, स्वतंत्र और प्रामाणिक दस्तावेजों का उपयोग करके सत्यापित करें। चूंकि आरएमएस निर्देशों ने विशेष रूप से आयातक की पहचान को स्थापित करने का निर्देश दिया है, इसलिए सभी सीमाशुल्क ब्रोकरों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे सख्ती से इसका अनुपालन करें।

In this connection, kind reference is invited to the Para (iv) of the Board's Circular No. 09/2010 regarding the KYC norms for identification of clients by Custom Brokers. Board has vide the said Circular made it obligatory for the Custom Brokers to verify the antecedent, correctness of Import Export Code (IEC) Number, identity of his client and the functioning of his client in the declared address by using reliable, independent, authentic documents, data or information as mentioned therein. Since RMS instructions have specifically

instructed to establish the identity of Importer, all Custom Brokers are directed to strictly comply with the same.

3. सुविधा स्तर में वृद्धि और शामिल जोखिम और समय को कम करने के परिणामस्वरूप, यह सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त परिपत्रों में उल्लिखित दस्तावेजों के अलावा, आरएमएस निर्देशों में विशिष्ट निर्देश शामिल है कि आयात को वित्त पोषण करने के लिए आयातक की क्षमता का आकलन करने के लिए पिछले 3 वर्षों के आयकर रिटर्न, खरीद आदेश और बैंक प्रमाणित इनवॉइस आदि का मूल्यांकन करें। इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत करने के लिए उपरोक्त दस्तावेजों को एकत्रित कर लें ताकि माल की शीघ्र और आसानी से निकासी किया जा सके। इससे सुविधा का स्तर बढ़ेगा और आयातकों को बिना विलंब और कठिनाई के माल की निकासी में होने वाले समय को कम करेगा।

3. Consequent to the increase in facilitation level and to reduce the Risks involved and time taken, it is informed that in addition to the documents mentioned in the above mentioned Circulars, RMS instructions contain specific instruction to assess the capability of the importer to finance the import by verifying the Income Tax return for last 3 years and purchase order and Bank attested invoices. Therefore, it is directed to collect, verify and produce, if necessary and on demand, the above documents for the speedy and smooth clearance of the consignments. It will increase the facilitation level and decrease the dwell time for the clearance of the consignments without any delay and hardship to the importers.

4. उपरोक्त के अलावा, यह देखा गया है कि बार बार दिये गए निर्देशों के बावजूद सीमा शुल्क ब्रोकर अगम बिलों/ नौवहन बिलों के साथ अपर्याप्त/ गलत विवरण, सीटीएच, यूक्यूसी आदि फाइल कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप मूल्यांकन और निकासी में विलंब होता है। बिलों को फाइल करने से पहले सीमा शुल्क ब्रोकर यह सुनिश्चित कर लें कि घोषणा उचित और आवश्यकताओं के अनुसार है। विवरण में उत्पाद का जेनेरिक नाम होने चाहिए और वस्तुएं उचित सीटीएच में वर्गीकृत होने चाहिए, उल्लिखित यूक्यूसी संबंधित सीटीएच के साथ मिलने चाहिए और उसके साथ मूल्यांकन के लिए आवश्यक सभी प्रासंगिक विवरण भी होने चाहिए।

4. In addition to the above, it is found that Customs Brokers are filing the Bills of Entries / Shipping Bills with insufficient / incorrect description, CTH, UQC even after repeated directions. This invariably results in delay in assessment and clearance. Before filing the Bills, the Customs Brokers should ensure that the declaration are proper and as per requirements. The description should be the generic name of the product, the items should be classified in the appropriate CTH, the UQC mentioned should match with the corresponding CTH and should contain all the relevant details required for assessment.

5. व्यापारियों और हितधारकों को सलाह दी जाती है कि वे बिना चूक के उपर्युक्त दिशानिर्देशों का पालन करें। यदि कोई कठिनाई हो तो उसे कृपया सीमा शुल्क आयुक्त, कोचीन की सूचना में लायें। उपर्युक्त से कोई भी चूक होने पर उसे गंभीरता से लिया जाएगा।

5. The trade and stakeholders are advised to follow the above guidelines scrupulously. Difficulties faced, if any, may please be brought to the notice of the Commissioner of Customs Cochin. Any deviation from the above may be viewed seriously.

Sd/-

(सुमित कुमार SUMIT KUMAR)
सीमाशुल्क आयुक्त Commissioner of Customs

जारी : सभी संबन्धितों को डाक सूची के अनुसार
Issued to: All concerned, as per mailing list.

F.No.S32/125/2018 AP(I). Cus.

दिनांक Dated: 27.04.2018

प्रतिलिपि Copy to :

1. **मुख्य आयुक्त, केंद्रीय शुल्क, केंद्रीय उत्पाद व सीमाशुल्क।**
   The Chief Commissioner, Central Tax, Central Excise and Customs.
2. **आयुक्त की फाइल/ अपर आयुक्त/ सभी उप आयुक्त व सहायक आयुक्त, विकास आयुक्त (सीएसईज़ेड)/ सभी मूल्य निरूपक/ सभी अनुभाग/ गार्ड फाइल और डाक सूची के अनुसार।**
   सभी संबन्धित अधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे इसे नोट करें और निर्देशों/ परिवर्तनों का अनुपालन करें।
   Commissioner's file/Addl Commissioners/ All D.Cs & A.Cs/ Development Commissioner (CSEZ)/ All Appraisers/ All Sections / Guard File and as per mailing list. All concerned officers are directed to note and comply with the instructions/changes
3. **राजभाषा यूनिट/Official Language Unit**
4. **कोचीन सीमाशुल्क ब्रोकर एसोसिएशन, कोचीन**
   The Cochin Customs Brokers Association, Cochin
5. **फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ओर्गनईजेशन, कोचिन**
   Federation of Indian Exports Organisation, Cochin
6. **संयुक्त महा निदेशक, विदेश व्यापार, केंद्रीय भवन, कोच्चि-682037**
   Jt.DGFT, Kendriya Bhavan, Kakkanad, Kochi 68203

7 प्रधान मुख्य आयुक्त (आयकर), केंद्रीय उत्पाद शुल्क भवन, आई एस प्रेस रोड, कोचीन- 682018

The Principal Chief Commissioner (Income Tax), C.R.Building, IS Press Road, Kochi 682018

8 नोटिस बोर्ड **Notice Board**

//अनुप्रमाणित / ATTESTED//

//जी.अनिलकुमार / G.ANILKUMAR//

मूल्यांकक (टैरिफ यूनिट) APPRAISER (TARIFF UNIT)